

अर्द्धशासकीय पत्रांक: / १०।५०-७। / २०१४-१५ दिनांक ०३ फरवरी, २०१५.


डॉ संथिल पाण्डियन
महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय
उत्तराखण्ड ननूरखेड़, देहरादून।
फैक्स व दूरभाष सं०-०१३५-२७८०१४०

महोदय,

जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत सरकार के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भारतीय नागरिकों का आधार कार्ड बनवाया जा रहा है। महानिदेशक एवं मिशन निदेशक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत ०५ से १८ आयुर्वर्ग के बच्चों को योजना से आछादित किये जाने का अनुरोध सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से किया गया है। विद्यालयी शिक्षा की ओर से की जाने वाली कार्यवाहियों हेतु प्रत्येक जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। तदक्रम में अग्रेतर यह भी अनुरोध करना है कि विद्यालयों के अध्ययनरत छात्रों को विशिष्ट पहचान योजनात्तर्गत आछादित किये जाने हेतु विद्यालयों में शिविर लगा कर पंजीकरण किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया जाना है कि राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित किये जाने हेतु शासन द्वारा श्रीमती सीमा जौनसारी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को विभागीय नोडल अधिकारी / रजिस्ट्रार नामित किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग से किसी प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है तो श्रीमती जौनसारी से इस हेतु सम्पर्क किया जा सकता है। जिनका मोबाइल नम्बर-७५३३८३०२२२ एवं दूरभाष सं०-०१३५-२७८१८२७ है।

मवदीय

(डॉ संथिल पाण्डियन)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

सेवा में,
समर्त जिला अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृष्ठांक संख्या/ १०।५०-७। / २०१४-१५ दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:-

- अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
- आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को अपने स्तर से मासिक समीक्षा किये जाने के अनुरोध के साथ।
- सचिव माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त कार्यक्रम समयबद्ध होने के कारण नियमित मासिक अनुश्रवण अपेक्षित है।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।


(डॉ संथिल पाण्डियन)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।